

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक :- प. 1(1) वित्त/नियम/2012

जयपुर, दिनांक 9 NOV 2020

परिपत्र

विषय :- Health Care Workers एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुये कोविड-19 से संक्रमित राज्य कर्मचारी को विशेष अवकाश (**Special Leave**) दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि **Health Care Workers** एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये ड्यूटी पर कार्य करते हुये राज्य कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित होने पर उनकी चिकित्सकीय उपचार अवधि (जो अधिकतम 30 दिवस होगी) के लिये संबंधित चिकित्सा प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा विशेष अवकाश (**Special Leave**) स्वीकृत किया जा सकेगा। 30 दिवस से अधिक के अवकाश की अवधि आवश्यक होने पर, कर्मचारी को नियमानुसार देय बकाया अवकाश (**Leave**) स्वीकृत किया जावेगा।



(डा. पृथ्वी)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

www.rajsevak.com

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।


19/11/2020

(अरेश कुमार वर्मा)